न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री गौरव बांकावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/608/2008

1. मूल्या पुत्र रामनाथ (फौत)

1/1 किशन लाल पुत्र मूल्या

1/2 गोपी देवी पुत्री मूल्या

1/3 लच्छी देवी पुत्री मूल्या

1/4 गुलाब देवी पुत्री मूल्या

1/5 मनभर देवी पुत्री मूल्या

1/6 बरदी देवी पुत्री मूल्या

समस्त जाति मीणानिवासी ग्राम श्रीराम की नांगल तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

2. नारायण पुत्र रामनाथ

3. लालाराम पुत्र रामनाथ

समस्त जाति मीणा निवासी कटारियों की ढाणी खोखावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. केसर लाल पुत्र नारायण
2. छीतर पुत्र भौरीलाल
3. छाजूलाल पुत्र भौरीलाल

   समस्त जाति मीणा निवास श्रीराम की नांगल तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

दावा तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक: 27.12.2023

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। वाद में वादी व प्रतिवादी सहमत होने पर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार सांगानेर से विभाजन प्रस्ताव चाहे गये।

तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2716 दिनांक 31.03.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रेषित किये गये जो निम्नानुसार है :-

वर्तमान जमाबंदी के अनुसार प्रविष्टिया

खाता सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म भूमि
3	केशरलाल पुत्र श्री	312	0.18	बा. 1
	नारायण हि0 1/8	312/482	0.15	बा.1
	किशनलाल पुत्र मूल्या	314	0.14	बा.1
	हि0 1/8 छाजूलाल	315	0.20	बा. 1
	पुत्र भौरीलाल हि0	349	0.01	गै.मु.चाह
	1/4 छीतर पुत्र	351	0.01	जाव 3
	भौरीलाल हि0 1/4	369	0.01	बंजड 1
	नारायण पुत्र रामनाथ	370	0.31	चा. 2
	हि0 1/8 लल्लूराम	372	0.02	गै.मु.चाह
	पुत्र रामनाथ हि0 1/8	374	0.11	बा.1
	जाति मीना खातेदार	375	0.01	गै.मु.गड्डा
		421	0.26	चा.2 जा. 2
		422	0.29	चा. 2 जा.2
		423	0.26	जा.2
		429	0.06	बा.1
		430	0.08	बा.1
		434	0.09	चा.2 जा.2
		435	0.23	बा.2 जा.2
		444	0.01	गै.मु.गड्डा
	योग	19	2.43	

सहायक कलक्टर (मुहर)
जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

प्रस्तावित कुर्रेजात (विभाजन) प्रविष्टिया :-

क्र. सं.	खातेदार विवरण	ख.नं.	रकबा	किस्म
1	केसरलाल पुत्र श्रीनारायणलाल हि0 1/4 किशनलाल पुत्र मूल्या हि0 1/4 नारायण पुत्र रामनाथ हि0 1/4 लल्लूराम पुत्र रामनाथ हि0 1/4 जाति मीना सा0देह खातेदार	312	0.18	बा.1
		316	0.20	बा.1
		349	0.01	गै.मु.चाह
		361	0.01	जा. 3
		369	0.01	बंजड 1
		370	0.31	चा. 2
		372	0.02	गै.मु.चाह
		374	0.11	बा. 1
		375	0.01	गै.मु.गड्डा
		422 मि0	0.04	चा. 2
		423	0.26	जा. 2
		429 मि0	0.05	बा. 1
	योग	12	1.21	
2	छीतर पुत्र भौरीलाल हि. 1/2 छाजूलाल पुत्र भौरीलाल हि0 1/2 जाति मीना सा0देह खातेदार	312/482	0.15	बा. 1
		314	0.14	बा. 1
		421	0.26	चा.2 जा.2
		422 मि0	0.25	चा.2 जा.2
		430	0.08	बा.1
		434	0.09	चा.2 जा.2
		435	0.23	चा. 2 जा.2
		444	0.01	गै.मु.गड्डा
	योग	8	1.21	

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट वास्ते आपत्ति बहस नियत की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस कुर्रेजात रिपोर्ट पर सुनी गई। बहस सुनी जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट का मय पत्रावली अवलोकन किया गया।

अतः तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद करें। कुर्रेजात

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर ब

इजलास श्री गौरव बांकावत (आर.ए.एस.)

मूल्या

बनाम

केसरलाल वगै.

दावा तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा/608/2008

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री गौरव बांकावत व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी संख्या 2 व 3 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् ....

.... खर्चा इस मुकद्में में मय सूद बशरह .... फीसदी

सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का

अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.12.2023 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

दस्तखत ....

ओहदा .... सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान		00			

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय